।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 2745 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 30 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में।(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021).

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0 /06/17/2022/एफ0सी0/1009 दिनांक 03.11.2023 .

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा मांगी गयी आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली की पत्र सं0 1841/1सर0(वन) दिनांक 29.11.2023 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी हैः—

क0सं0	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	चाही गई आख्या
1.	प्रस्तावित मार्ग मात्र एक गांव को जोड़ रहा है जहां यातायात की मात्रा बहुत कम होगी, राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षो को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक संरेखण खोजे।	वन भूमि प्रस्ताव में ली गयी मोटर मार्ग की चौड़ाई मानकानुसार है इससे कम चौड़ाई में मोटर मार्ग निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकानुसार सम्भव नही है इसके अतिरिक्त सभी वैकल्पिक संरेखण पर विचार कर लिया गया है परन्तु कोलाडुंग्री ग्राम हेतु प्रस्तावित संरेखण ही तकनीकी एवं ग्रामीणो की सहमति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य विकल्प, जिनका उल्लेख पूर्व में प्रेषित विस्तृत औचित्य (संलग्न) में किया जा चुका है। या तो तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है अथवा ग्रामीणो की भूमि सम्बन्धी आपसी विवाद है।

महोदय उक्त मोटर मार्ग वहां के ग्रामीणो के जनहित में बनाया जाना अति आवश्यक है तथा प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीणो तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियां द्वारा बार—बार विभाग से शीघ्र मोटर मार्ग निर्माण हेतु कहा जा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर जनहित में आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण की स्वीकृति हेतु पत्र को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करे। ताकि प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत हो सके।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 2745 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614
Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1841 / 1 सी० (वन) दिनांक 29 / 11 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। **(P.No- FP/UK/ROAD/146204/2021)**

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक संख्या 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0. / 1009 दिनांक 03.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षो को प्रभावित काने वाले वैकल्पिक संरेखण को खोजने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर आख्या निम्नवत् है–

आपत्ति	उत्तर / स्पष्टीकरण
प्रस्तावित मार्ग मात्र एक गॉव को जोड रहा है जहॉ यातायात की मात्रा बहुत कम होगी, राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग की चौडाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षों को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक संरेखण खोजें।	वनभूमि प्रस्ताव मे ली गयी मोटर मार्ग की चौड़ाई मानकानुसार है। इससे कम चौड़ाई मे मोटर मार्ग निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकानुसार सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी वैकल्पिक संरेखण पर विचार कर लिया गया है, परन्तु कोलाडुंग्री ग्राम हेतु प्रस्तावित संरेखण ही तकनीकी एवं ग्रामीणो की सहमति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य विकल्प, जिनका उल्लेख पूर्व में प्रेषित विस्तृत औचित्य (संलग्न) में किया जा चुका है या तो तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है अथवा ग्रामीणों की भूमि सम्बंधी आपसी विवाद है।

ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार विभाग से शीघ्र मोटर मार्ग निर्माण हेतु कहा जा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर जनहित में आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण की स्वीकृति हेतु पत्र को संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा किजियेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
29/11/23
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

पत्रांक– / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1248 / 1 सी0 वन दिनांक 03/ 08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषयः– **Diversion of 0.860 ha of forest land for Construction of Sumalta to Koladungri Motor Road in Favor of PWD. Within the Juridiction of Badrinath Forest Division Gopeshwar, District- Chamoli, Uttarakhand. (Online No. FP/UK/ROAD/146204/2021)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या 6485/12–1 दिनांक 17.06.2023 एवं 308/12–1 दिनांक 14.7.2023,
आनलाइन ई.डी.एस. 02.8.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग से कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में दिनांक 29.5.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में चॉही गयी आख्या निम्नवत् है–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	The proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, it was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 . Although a reply was submitted in this response, it appears that the proposal was not assessed according to the decision takenin the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewd, and it was observed that the village is already near the existing road If, further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the user agency has provided a justification that the farmers are unwilling to give therir land in that stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest. After the discussion, it was decided that the State Government , if required may submit the revise proposal form northen side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.	महोदय, आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित मार्ग से उक्त गॉव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकत है– विक्ल्प 1–ग्राम विड़ोली सेः–पूर्व में इस गॉव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2480/2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर–विरोध के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं हो पाई। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री को डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से जोड़ने हेतु फरवरी 2019 में स्वीकृति प्राप्त हुई। जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री को मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है। विकल्प 2– ग्राम फलोटा से– जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है कि ग्राम फलोटा लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू–भाग का ढाल लगभग 45° है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है, जो गॉव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है। उक्त भूमाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू–भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिकी दृष्टि से ना ही पर्यावरण की दृष्टि से उपुयक्त है। आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैंड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूसरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनो गॉवो को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 बैण्ड की त्रिज्या मनकानुसार न्यूनतम 12 मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 बैण्ड पर कम से कम 31.5 मीटर भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा मे मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। अतिरिक्त ग्राम फलोटा वासी, जो कि कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से पहले से जुड़े है, अपनी भूमि उक्त मार्ग के निर्माण में देने को तैयार भी नहीं है। (अनापत्ति संलग्न) अतः ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।

Scanned with CamScanner

		निम्नलिखित कारणो से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे है– 1–लामान्वित होने वाला गॉव एक राजस्व ग्राम है, जो कि अतिथि तक मोटर मार्ग पहुॅच से वंचित है। 2–ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुॅचने में सुविधा होगी। चूकि स्थल को जोड़ जाना Obeligantory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। 3– लामान्वित गॉव का मुख्य बाजार सिमली है, जहॉ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लामान्वित गॉव मात्र 8 कि0मी में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 कि0मी0 एवं सिमली की दूरी 24 कि0मी0 आयेगी। 4– लामान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगडी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लामान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम सुमल्टा एवं ग्राम बांगडी के मतदातोओं विशेषकर वृद्ध एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुॅचने में सुविधा होगी। 5– लामान्वित गॉव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट आफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पहुॅचने में सुविधा प्राप्त होगी। 6– कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है जिसमें से 118 वृक्ष चीड़ के है तथा चीड़ के वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से भी उपर्युक्त नहीं माने जाते है। इस मार्ग के निर्माण से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वन सम्पदा को नुकसान नहीं पहुॅचेगा। स्वीकृत संरेखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है। जिससे स्पष्ट है संरेखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है। अतः स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

आपके पत्र संख्या 308/12–1 दिनांक 14.7.2023 द्वारा प्रस्तर 3 मे सूचित किया गया है कि **प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल में गॉव को सड़क से जोड़ने हेतु जो संरेखण प्रस्तावित किया गया है, वह अभी भी गॉव को नहीं जोड़ रहा है** के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणों के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है। **(ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र संलग्न है)** इस बिन्दु से गॉव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250 मीटर है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहॉ से लामान्वित गॉव कोलाडुंग्री को पहुॅच सुलभ है एवं ग्रामीणों को उक्त मार्ग को प्रस्तावित संरेखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अवगत कराना है कि उक्त गॉव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणो द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है। अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नहीं है तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पूर्व में प्रस्तावित संरेखण पर ही वन भूमि स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुर्नविचार करने की कृपा करें।

संलग्न– ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
गोपेश्वर - चमोली

विषय:- कोटनाडुंगरी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में,

महोदय,

कोटनाडुंगरी क्षेत्र की जनता आपसे पुनः निवेदन करती है कि मार्ग निर्माण सर्वे कार्य जो विभाग द्वारा किया गया है उक्त सम्बन्ध में हमारी पूर्ण सहमति है साथ ही जो सिंचित भूमि व दूरी के सम्बन्ध में क्षेत्र की जनता पूर्व पत्रों द्वारा आपको अवगत कराया गया है।

अतः पुनः क्षेत्र की जनता निवेदन करती है कि सम्बन्धित मार्ग निर्माण सर्वे जो विभाग द्वारा की गयी है उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है साथ ही जो दूरी व सिंचित भूमि का उल्लेख है के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सर्वे स्थान से ग्रामवासियों को सुविधा जनक पड़ता है तथा उक्त स्थान से यदि विभाग अन्यत्र मार्ग निर्माण चाहेगा तो इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी,

भवदीय,
समस्त क्षेत्रवासी ग्राम कोटनाडुंगरी
एवं
प्रधान
ग्राम पंचायत कोटनाडुंगरी

सरिता देवी अध्यक्षिका
अध्यक्षा
महिला मंगल दल कोटनाडुंगरी
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)
महिला मंगल दल "कोटनाडुंगरी"

1- (दौलत सिंह रावत)
अव० प्रा० अध्यापक

2- बलवन्त सिंह रावत -

3- जय प्रकाश थपलियाल,

प्रधान क्षेत्र पंचायत कोटनाडुंगरी
दिनांक ...23
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

(4) - प्रेमसिंह तोपवाल - (8) toplc

(5) - जीतेन्द्र तोपवाल - [signature]

(6) - प्रशान्त रावत - प्रशान्त

(7) - महिपाल - रावत - MSRawat

(8) - आनन्द डिमरी - आनन्द डिमरी

(9) - राकेश चन्द्र डिमरी - [signature]

(10) - जयवीर तोपवाल - जयवीर सिंह

(11) - सुरेन्द्र तोपवाल - S.Topwal

(12). प्रमोद रावत - P.Rat

(13) - कमला देवी तोपवाल - कमला देवी

(14). विमला देवी तोपवाल - Topwal

(15) - उत्तरा देवी थपलियाल - उत्तरा देवी

(16) - सुशीला देवी तोपवाल - सुशीला देवी

(17) - आरती देवी तोपवाल - Arti

(18) - दीपा देवी रावत - दीपा देवी

(19) - रामेश्वरी देवी थपलियाल - रामेश्वरी देवी

(20). अंजू देवी रावत - अंजु देवी

(21) - दर्शन सिंह रावत - दर्शन सिंह

(22) - कान्ति बल्लभ थपलियाल - Kanti Ballabh

(23) - महावीर सिंह रावत - [signature]

(24) - शिशुपाल तोपवाल - [signature]

(25) - हुकमसिंह तोपवाल - [signature]

हस्ताक्षर अस्पष्ट

[signature]